न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर ज़िला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :– सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
मिसल न0– 05/2019

अनवान :–

1. चेतराम पुत्र श्री अमीचन्द जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।

–प्रार्थी

बनाम्

1. मुन्शीराम पि. मु. गणपत जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
2. भागीरथ पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर। (फोत)
   2/1. शान्ति पत्नि भागीरथ 2/2. शिवभगवान 2/3 विनोद पि0 भागीरथ जाति मेधववाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
3. दलीप पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
4. जगदीश पुत्र कुरडाराम जाति मेघवाल निवासी परलीका तहसील नोहर।
5. गामाराम वल्द सोहणाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर (फोत)
   5/1 गोदाराम पुत्र गामाराम जाति बाजीगर साकिन परलीका तहसील नोहर।
   5/2 नाजरराम पुत्र गामाराम जाति बाजीगर साकिन परलीका तहसील नोहर।
   5/3 बानों पत्नी गामाराम जाति बाजीगर साकिन परलीका तहसील नोहर।
6. मालाराम पुत्र गण्डाराम जाति बाजीगर जाति बाजीगर निवासी परलीका तहसील नोहर।(फोत)
   6/1 मिठूराम पुत्र मालाराम जाति बाजीगर साकिन परलीका हाल आबाद साहारणी तहसील व ज़िला सिरसा
   6/2 ताराराम पुत्र मालाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद साहरणी तहसील व जिला सिरसा
   6/3 जितोाबाई पुत्री मालाराम जाति बाजीगर निवासी परलीका हाल आबाद जोगा तहसील मानसा जिला मानसा पंजाब
7. लालाराम पुत्र गण्डाराम जाति बाजीगर जाति बाजीगर निवासी परलीका तह. नोहर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–(क) राज0
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी, अभिभाषक, प्रार्थी
श्री भरतसिह बैनीवाल अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1 ता 4
श्री हवासिह पुनिया अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 5/1,6/2,7

निर्णय दिनांक : 29/07/2020

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि चक 15 एनटीआर (ए) के खाता संख्या 25/26 की प.न. 358/419(27) 3 ता 8, 13 ता 18, 23 ता 25 की 3.7950 है0 प.न. 358/420(28) कि.न. 3 ता 5 की 0.759 है0 भूमि है तथा इसी चक में सायल के चिपते हुए खाता संख्या 93/91 की प.न. 358/419 के कि.न. 1, 2 व 9 ता 12, 19 ता 22 की 2.5300 है0 व प.न. 358/420 कि. न. 1 व 2 की 0.506 है0 कुल 3.0360 है0 भूमि गैर सायल की है।

प.न. 419 व 420 में मंजुरशुदा रास्ता है जो सायल के खेत से दो बीघा दुरी पर स्थित है। सायल इस मंजुरशुदा रास्ते से होकर अपने खेत में आवागमन हेतु गैर सायल के खेत के प.न. 358/419 के कि.न. 1 ,2 में उत्तरी दिशा में पश्चिम से पुर्व चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा दुसरा कोई रास्ता सायल के खेत में आने जाने के लिये नही है। लेकिन उक्त रास्ता रिकार्ड में दर्ज नही होने के कारण गैर सायल इस रास्ते को बन्द करने की धमकी देतें है। यदि ऐसा

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

हो गया तो सायल अपने खेत मे प्रवेश नही कर सकेगा तथा फसल भी बर्बाद हो जावेगी। लडाई झगडा बढेगा। इसलिये इस रास्ता को मंजुर करवाकर रिकार्ड में गैर मुमकिन दर्ज करवाना चाहता है तथा प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले बाजार भाव से जितनी राशि बनती है वह राशि अथवा चिपती हुई दो बिस्वा भूमि गैर सायल को देने को तैयार है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैर सायल के खाता संख्या 93/96 प.न. 358/419(27) कि.न. 1, 2 के उत्तरी तरफ पश्चिम से पुर्व 1–1 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता स्वीकृत किया जाकर रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसयाल की तलबी की गई। गैरसायल स0 1 ,3 ,4 की और श्री हवासिह अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आये किन्तु बार बार जबाब का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जबाब पेश नही किया अन्त में दिनांक 25.01.2017 को पेरवी की हिदायत नही होना जाहिर किया अन्य कोई प्लीडर गेरसायल न0 1 ,3 ,4 की ओर से उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई इसी प्रकार गैरसायल न0 2 ,5 ता 7 को रजिस्टर सम्मन से तलब किये जाने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई। इस प्रकार गैरसायलान की और से कोई भी उपस्थित नही आने पर वकील सायल की एकपक्षिय सुना जाकर दिनांक 31.01. 2017 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा 15 एनटीआर के खाता संख्या 93/96 प.न. 358/419(27) कि.न. 1, 2 के उत्तरी तरफ पश्चिम से पुर्व 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया गया इस न्यायालय के दिनांक 31.01.2017 की अपील अप्रार्थीगण के द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ के न्यायालय में की गई माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ ने दिनांक 06.09.2018 को निर्णय पारित किया जाकर इस न्यायालय का निर्णय निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया गया की राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 69 के प्रावधानों के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक या उससे उच्च स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा मौका निरीक्षण कर रास्ता स्वीकृति के सम्बध में मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पून निर्णय पारित किया जावे।

प्रकरण माननीय राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ से प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षों को नोटिस जारी किये गये अप्रार्थी संख्या 5/2 , 5/3 , 6/1 ,6/3 रजिस्टर सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यावावही की जाती है। प्रार्थी जरिये अधिवक्ता श्री नरेन्द्र किशोर न्यायालय में उपस्थित आया एवं अप्रार्थी 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता श्री भरतसिह उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जबाब पेश किया की सायल गैरसायल के खेत में रास्ता से आवागमन नही है ना ही रास्ता चालू है सायल को अपने खेत में जाने के लिए आज तक प0न0 358/420(28) के किला न0 10 ,9 ,8 में मुडकर अपने खेत के किला न0 3 में प्रवेश करता है यही रास्ता उपयोग में आने व जाने के लिए लेता आ रहा है चिडिया के वारिसान गैरसायल न0 2 ता 4 के अलावा भी अन्य वारिस है चिडिया की लडकीयों को पक्षकार नही बनाया है यही रास्ता गांव के नजदीक व सुविधाजनक है गैरसायल के खेत में रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा है वहॉ कभी भी रास्ता चालू नही रहा है ना ही मौके पर चालू है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है आवश्यक पक्षकारों को भी पक्षकार नही बनाया गया है सायल एक झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है जो हमेशा पडोसियों से झगड करता रहता है सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी सख्या 5/1 ,6/2, 7 जरिये अधिवक्ता श्री हवासिह न्यायालय में उपस्थित आकर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया की सायल गावं से चलकर स्वीकृत रास्ता से होते हुए प0न0 358/420(28) किला न0 10 ,9 ,8 में से मुडकर अपने खेत के किला न0 3 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं नजदीकी है एव हमेशा इसी रास्ता से आवागमन होता है। प्रार्थी ने केवल रंजिश की वजह से गैरसायल को सिर्फ परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है सायल को अपने खेत में जाने के लिये उक्तानुसार पहले से ही रास्ता है जो सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है इसलिये दुसरा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है झुठा प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है चक 15 एनटीआर के प0न0 358/419(27) के किला न0 1 ता 2 की भूमि बंटवारा में गैरसायल न0 5 ता 7

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

को प्राप्त हुई है जो 50 वर्षो से काबिज चले आ रहे है कभी भी रास्ता नही रहा एव ना ही यहा से रास्ता सुविधाजनक है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमावे।

अप्रार्थीगण के जबाब शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की प्रार्थी को अपने खेत में आने जाने के लिये प.न. 419 व 420 में जो मंजुरशुदा रास्ता है उससे होकर सायल अपने खेत में आवागमन करता है। परन्तु सायल का खेत गैरसायल के खेत से 2 बीघा दुरी पर स्थित है। सायल मंजुरशुदा रास्ते से होकर अपने खेत में आवागमन हेतु गैर सायल के खेत के प.न. 358/419(27) कि.न. 1, 2 में उत्तरी दिशा में पश्चिम से पुर्व चलकर अपने खेत में प्रवेश करता है। यही सबसे नजदीकी व सुविधाजनक रास्ता है। इसके अलावा अन्य कोई रास्ता नही है। इसलिये सायल उक्त रास्ता मंजुर करवा कर रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है तथा सायल रास्ते की भूमि के बदले भूमि अथवा बाजार मुल्य जो भी गैर सायल चाहेगा वह देने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता स्वीकृत फरमावें।

अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल गैरसायल के खेत में रास्ता से आवागमन नही है ना ही रास्ता चालू है सायल को अपने खेत में जाने के लिए आज तक प0न0 358/420(28) के किला न0 10 ,9 ,8 में मुडकर अपने खेत के किला न0 3 में प्रवेश करता है यही रास्ता उपयोग में आने व जाने के लिए लेता आ रहा है चिडिया के वारिसान गैरसायल न0 2 ता 4 के अलावा भी अन्य वारिस है चिडिया की लडकीयों को पक्षकार नही बनाया है यही रास्ता गांव के नजदीक व सुविधाजनक है गैरसायल के खेत में रास्ता स्वीकृत नही किया जा सकता है सायल ने जहॉ से रास्ता चाहा है वहॉ कभी भी रास्ता चालू नही रहा है ना ही मौके पर चालू है इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है आवश्यक पक्षकारों को भी पक्षकार नही बनाया गया है सायल एक झगडालु प्रवृति का व्यक्ति है जो हमेशा पडोसियों से झगड करता रहता है सायल क्लीन हैण्ड से न्यायालय में नही आया है सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी संख्या 5/1 ,6/2, 7 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की सायल गावं से चलकर स्वीकृत रास्ता से होते हुए प0न0 358/420(28) किला न0 10 ,9 ,8 में से मुडकर अपने खेत के किला न0 3 में प्रवेश करता है यही रास्ता सबसे सुविधाजनक एवं नजदीकी है एव हमेशा इसी रास्ता से आवागमन होता है। प्रार्थी ने केवल रंजिश की वजह से गैरसायल को सिर्फ परेशान करने के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है सायल को अपने खेत में जाने के लिये उक्तानुसार पहले से ही रास्ता है जो सबसे नजदीकी एवं सुविधाजनक है इसलिये दुसरा रास्ता स्वीकृत करवाने का अधिकारी नही है झुठां प्रार्थना पत्र पेश किया है जो चलने योग्य नही है चक 15 एनटीआर के प0न0 358/419(27) के किला न0 1 ता 2 की भूमि बंटवारा में गैरसायल न0 5 ता 7 को प्राप्त हुई है जो 50 वर्षो से काबिज चले आ रहे है कभी भी रास्ता नही रहा एव ना ही यहा से रास्ता सुविधाजनक है इसलिये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी दोनो खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है और एक दुसरे के चिपते काश्तकार है जिसके सम्बध में उभयपक्षों को कोई ऐतराज नही है।

प्राथी ने अप्रार्थी की भूमि में से अपनी भूमि तक जाने के लिये रास्ता चाहा जा रहा है एवं अप्रार्थी का कथन है कि सायल को पूर्व में ही रास्ता है किन्तु अप्रार्थीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित होता हो की प्रार्थी को उसकी भूमि तक जाने के लिये पूर्व में रास्ता है मात्र कथन किया गया है।

अप्रार्थी ने अपने कथन किया है कि प0न0 358/420(28) किला न0 10 ,9 ,8 में से मुडकर अपने खेत के किला न0 3 में पहुच जाता है अप्रार्थी का कथन सही नही है क्योकि अप्रार्थी के द्वारा जो रास्ता बताया गया है वह पत्थर लाईन पर नही है और तीन किलों में है जबकि प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता पत्थर लाईन पर एवं दो किलों में चाहा गया है अर्थात प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता न्यायोचित है।

प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता के सम्बध में तहसीलदार राजस्व नोहर से मौका रिपोर्ट ली गई तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट के अनुसार प0न0 358/420(27) के किला न0

उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

Scanned with CamScanner

21 ,22 में दक्षिणी साइड में पूर्व से पश्चिम कच्चा खाला है उसकी पगडडी से होकर जाया जा सकता है किन्तु यदि कश्तकारों/पडोसीयो के द्वारा फसल काश्त करने पर रास्ता बन्द हो जाता है प0न0 357/419(27) के किला न0 5 ,6 ,15 ,16 ,25 में उत्तर से पश्चित पक्की सडक परलीका से राजपुरिया जाती है जो कि मु0न0 27 के पश्चिम साइड में चक 18 एनटीआर की बाउन्ड्री में है अप्रार्थीगण की भूमि सडक और प्रार्थी के खेत के बीच में है अप्रार्थीगण के मना करने पर प्रार्थी का उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता नही है पुर्व में किला न0 1, 2 में रास्ता स्वीकृत किया गया था जो वर्तमान में बन्द है प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये मु0न0 27 के किला न0 1, 2 में रास्ता दिया जाना उचित है।

तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट से पूर्णत्या साबित है कि प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये कोई रास्ता नही है किसी भी काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि काश्त करने के लिये रास्ता दिया जाना न्यायोचित है।

तहसीलदार राजस्व नोहर की मौका रिपोर्ट एवं प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के अनुसार प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये प्रस्तावित रास्ता के अलावा अंन्य कोई रास्ता नही है तथा प्रार्थी के द्वारा चाहा गया रास्ता पत्थर लाईन पर है एवं प्रार्थी रास्ते की भूमि के बदले में अप्रार्थीगण को भूमि उसकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देने का तैयार है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र तहसीलदार नोहर की मौका रिपोर्ट एवं साक्ष्य सबुतों के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा रोही मौजा 15 एनटीआर–ए के खाता संख्या 93/96 प.न. 358/419(27) कि.न. 1, 2 के उत्तरी तरफ पश्चिम से पुर्व 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में प्रार्थी अप्रार्थीगण को उतनी भूमि उनकी खातेदारी भूमि के चिपते हुए देगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया । जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगें पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/07/20 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner